



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

(Phone & FAX : 01572-294048 Help Line : 8306002137)

Email : dlsa32sikar@gmail.com, legalaidsikar@gmail.com

क्रमांक:- 3963


दिनांक:- 08-12-23

—:संशोधित कार्यालय आदेश:-

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.12.2023 हेतु बैच गठन कार्यालय आदेश क्रमांक 3911 दिनांक 05.12.2023 द्वारा बैच संख्या 1 में श्री कैलाश चन्द्र अटवासिया, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, सीकर को बैच अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। जिसके संदर्भ में पारिवारिक न्यायालय, सीकर के पत्रांक पी.ए./2023/42 दिनांक 08.12.2023 द्वारा श्रीमान्जी को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य से जयपुर जाना है। जिस संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक 08.12.2023 को बाद दोपहर आधे दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं आज दिनांक 08.12.2023 को बाद दोपहर से मय दिनांक 09.12.2023 व 10.12.2023 को राजकीय अवकाश सहित दिनांक 11.12.2023 को कार्यालय समय पूर्व तक मुख्यालय परित्याग एवं दिनांक 08.12.2023 को बाद दोपहर आधे दिन के आकस्मिक अवकाश की अनुमति हेतु माननीय श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय को आवेदन पेश किया है।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), सीकर की आदेशानुसार जिला मुख्यालय पर गठित बैच संख्या 01 में श्री कैलाश चन्द्र अटवासिया, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, सीकर के स्थान पर श्रीमती रेखा राठौड़, न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सीकर को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जिला मुख्यालय पर गठित बैच संख्या 01 में रखे गये प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैच अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

आज्ञा से


सचिव 8.12.2023


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर

क्रमांक 3964-69

दिनांक 08-12-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संबधित बैच अध्यक्ष श्री/श्रीमति.....
2. संबधित बैच सदस्य श्री/श्रीमति
3. मुख्यालय स्थित समस्त न्यायालय.....
4. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीकर
5. कोर्ट मैनेजर/सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय सीकर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. रक्षित पत्रावली


सचिव 8.12.2023
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सीकर